



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-456 राँची, सोमवार,

6 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 अगस्त, 2021

संख्या-5/आरोप-1-95/2017-16258 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध 13वें वित्त आयोग की राशि के स्थानांतरण हेतु ग्राम पंचायत के बैंक खाता के सत्यापन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड के पत्रांक-2224, दिनांक 20.06.2017 द्वारा प्राप्त आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री चोपड़ा के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री चोपड़ा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री चोपड़ा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री चोपड़ा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASHOK KUMAR CHOPRA 110071165711	श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3282
